मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 23.01.2023

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा जंगल के रास्ते क्रूरता पूर्वक वध हेतु ले जाए जा रहे 134 राशि गोवंश बरामद, 04गौ-तस्कर गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा गो-तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के लिये जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अहरौरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।आज दिनांकः 23.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह थाना अहरौरा मय पुलिस बल द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्र जंगल के रास्ते वध हेतु मारते पीटते हुए पैदल ले जा रहे 134 राशि गोवंश के साथ 04 गौ-तस्करों 1. समशुद्दीन पुत्र सरीफ निवासी डिलाही करमा जनपद सोनभद्र, 2. गुड्डु पुत्र मिठाई बनवासी निवासी गुलरिहवा लोहरा जनपद सोनभद्र, 3. विरेन्द्र पुत्र मिठाई बनवासी निवासी गुलरिहवा लोहरा जनपद सोनभद्र, 4.रिन्कू पुत्र छठ्ठु बनवासी निवासी गुलरिहवा लोहरा जनपद सोनभद्र को गिरफ्तारकिया गया। उक्तगिरफ्तार अभियुक्तोंद्वारा पुछताछ मे बताया की हम लोग पशुओं को जंगल के रास्ते वध हेतुले जा रहे थे। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0- 16/2023 धारा 3/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रूरता अधि. अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.समशुद्दीन पुत्र सरीफ निवासी डिलाही करमा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 35 वर्ष।
2.गुड्डु पुत्र मिठाई बनवासी निवासी गुलरिहवा लोहरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 25 वर्ष।
3.विरेन्द्र पुत्र मिठाई बनवासी निवासी गुलरिहवा लोहरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 36 वर्ष।
4.रिन्कू पुत्र छठ्ठु बनवासी निवासी गुलरिहवा लोहरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 23 वर्ष।

विवरण बरामदगी—

कुल 134 राशि गोवंश

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा- कुमुद शेखर सिंह मय पुलिस टीम।

मीरजापुर पुलिस